

भारत में वचाराधीन बंदियों की स्थिति

प्रलिस के लयि:

संवधान दविस, [BNSS की धारा 479](#), CrPC की धारा 436A, [सर्वोच्च न्यायालय](#), वचाराधीन बंदियों के लयि ज़मानत संबंधी कानून, [संसद](#), [पुलसि](#), [न्यायालय](#)

मेन्स के लयि:

भारत में कारागार प्रशासन की स्थिति, भारत में कारागार से संबंधति मुद्दे, [दंड प्रकरया संहति 1973](#)

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने 26 नवंबर (संवधान दविस) तक अपनी अधकितम सजा का एक तहिाई से अधकि हसिसा काट चुके वचाराधीन बंदियों की रहिाई में तीव्रता लाने की आवश्यकता पर बल दया।

- यह पहल हाल ही में अधनियिमति भारतीय नागरकि सुरक्षा संहति (BNSS), 2023 के अनुरूप है, जसिमें पहली बार अपराध करने वालों के लयि रयियती जमानत का प्रावधान कया गया है।

नोट: वचाराधीन बंदी ऐसा व्यकत होता है जो मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए या अपने खलिाफ वधकि कार्यवाही के समापन की प्रतीक्षा करते हुए कारागार में रहता है। इस श्रेणी में ऐसे लोग शामिल होते हैं जनिहें अभी तक कसिी अपराध के लयि दोषी न ठहराया गया हो एवं वधकि प्रकरया के दौरान उनहें न्यायकि हरिसत में रखा गया हो।

भारत में वचाराधीन बंदियों की वर्तमान स्थति क्या है?

- वचाराधीन बंदियों का उच्च अनुपात: राष्ट्रीय अपराध रकिॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की कारागार सांख्यिकी भारत 2022 रिपोर्ट के अनुसार, भारत के कारागारों में बंदियों की संख्या 75.8% (5,73,220 में से 4,34,302) है।
 - कारागार में बंद 23,772 महिलाओं में से 76.33% वचाराधीन हैं तथा सभी वचाराधीन बंदियों में से 8.6% तीन वर्ष से अधकि समय से कारागार में हैं।
- अत्यधकि भीड़: सर्वोच्च न्यायालय के अनुसंधान एवं योजना केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय कारागारें 131% कषमता पर संचालति हो रही हैं तथा इनमें 436,266 की कषमता के मुकाबले 573,220 बंदी हैं।
 - उल्लेखनीय बात यह है कि इनमें से 75.7% बंदी वचाराधीन हैं।
- वधकि प्रतनिधित्व का अभाव: अनुच्छेद 39A के तहत मुफ्त वधकि सहायता की गारंटी दयि जाने के बावजूद, कई वचाराधीन बंदियों को अधविकता-बंदी अनुपात अपर्याप्त होने के कारण वधकि प्रतनिधित्व तक पहुँच नहीं मलि पाती है, जसिसे वे प्रभावी रूप से अपना बचाव करने में असमर्थ हो जाते हैं।

भारत में वचाराधीन बंदियों के संकट के नहलतारुथ कुरा हैं?

- **मौलकल अधकरारों का उल्लंघन:** बनल सुनवरुई के लंबे समय तक हरलसत में रखनल भारतीय संवधलन दरुवल गररुटीकृत करुई मौलकल अधकरारों का उल्लंघन करतल है, कसलमें **शीघर सुनवरुई का अधकरार (अनुच्छेद 21)** और दोषी साबतल होने तक नरुदोषतल की धारणल **[अनुच्छेद 20(3)]** शलमलल है।
 - **नुराकल लंबतल मलमले:** वचाराधीन बंदियों की उचुच संखुरल भारतीय नुराकल परणलली में लंबतल मलमलों की संखुरल में महतुतुवपूरण डुगदलन देती है। डे लंबतल मलमले सभल वुडकृतियों के लडल नुरलड में वललंब करते है और वधकल परणलली में जनतल के वशलवलस कु कम करते है।
- **वललंबतल नुरलड का परुडलव:** लंबे समय तक हरलसत में रखने से नुरलड तक पहुँच, पुनरुवलस और वचाराधीन बंदियों और उनके परवलरुओं की सलमलकल-आरुथकल भलरुई परुडलवतल होती है।
 - करलरलगरुओं में अतुडधकल भुीड के करलण परुलड: **अमलनवीड डलवन सुथतलथलरु पैदल हु डलतल हैं, कसलसे सुवलसुथुड और मनुवेडुऑनकल कुनूतलथलरु बदु डलतल हैं।**
- **मलनसकल सुवलसुथुड संबंधी सडसुडलरुई:** बनल दुुषसदुधल के लंबे समय तक करलरलवलस में रहने से वचाराधीन बंदियों में गंभीर मनुवेडुऑनकल संकट पैदल हु सकतल है, कसलमें कुतल, अवसलद और नरुशलशल की भलवनल शलमलल है।
- **वशलवलस का कषरण:** वचाराधीन बंदियों की अधकल संखुरल और इसके परणलमसुवरुड होने वलली देरी से वधकल वुडवसुथल में लुगुओं कल वशलवलस कम हुतल है। कब नुरलड में देरी हुती है डल उसे नकरल दडल डलतल है, तु नलगरकलुओं कल वधकल वुडवसुथल की समय पर और नषलपकुष परणलम देने की कषडतल पर वशलवलस खतुड हु सकतल है।

भारत में करलरलगरुओं कल वनलडलडन कैसे कडल डलतल है?

- **संवधलनकल परलवधलन:**
 - **अनुच्छेद 21:** डह बंदियों कु डलतनल और अमलनवीड वुडवहर से बकुलतल है। डह बंदियों के लडल समय पर सुनवरुई भी सुनशलकुतल करतल है।
 - **अनुच्छेद 22:** गरलफुतर वुडकृतल कु उसकी गरलफुतरलरी के करलणुओं के बलरे में तुरुंत सुकुतल कडल डलनल कलहडल और उसे अडनी डसंद के अधवलकुतल से परलमरुश करने और बकुलव करलने कल अधकरार है।
 - **अनुच्छेद 39A:** वधकल डुरतनलधलतलव कल वुडड वहन करने में असडरुथ लुगुओं कु नुरलड सुनशलकुतल करने के लडल **नःशुलुक वधकल सलहलडतल** सुनशलकुतल करतल है।
- **वधकल दुुडलकल:**
 - **करलरलगरु अधनलडलड, 1894:** डुरलतलश शलसन के दुुरलन अधनलडलडतल करलरलगरु अधनलडलड, डलरत में करलरलगरु डुरबंदन के लडल आधलरडुत वधकल दुुडके के रूड में कररुड करतल है।
 - डह बंदियों की हरलसत और अनुशलसन पर केंदुरतल है, लेकनल इसमें पुनरुवलस और सुधलर के डुरलवधलनुओं कल अडलव है।
 - **बंदी शनलखत अधनलडलड, 1920:** डह कलनून बंदियों की डहकलन डुरकुरडल और डलडुडेटरकल डेडल के संगुरह कु नरुडतुरतल करतल है।
 - **बंदियों अंतरण अधनलडलड, 1950:** डह वडलनलन रलकुडुओं और अधकरार कषेतरुओं के डलक बंदियों के अंतरण के लडल दशलनरुदलश डुरदलन करतल है।
- **नरुलकषण तंतुर**
 - नुरलडकल नगरलनी: भारतीय नुरलडडललकल जनहतल डलकललकुओं (PIL) और बंदियों के अधकरारुओं से संबंधतल वशलषलट मलमलुओं के डलधुडड से करलरलगरु की सुथतलथलरुओं की नगरलनी करने में महतुतुवपूरण डुडकल नडलतल है।
 - उदलहरण के लडल, डी.के. डसु डनलड डशुकलड डंगलल रलकुड (1997) डलडले में सरुवुकुच नुरलडलडलड ने गरलफुतरलरी और हरलसत के लडल सखत डुरुुडुुऑल कल नरुदलश दडल थल।

भारत में करलरलगरु सुधलर से संबंधतल डहल कुरल हैं?

- **करलरलगरु आधुनकीकरण डुऑनल:** करलरलगरु, बंदियों और करलरलगरु करुडडलुओं की सुथतलडल सुधलर ललने के उदुदेशुड से करलरलगरुओं के आधुनकीकरण की डुऑनल वरुष 2002-03 में शुरु की गरुई थी।
- **करलरलगरु आधुनकीकरण डुरडुऑनल (2021-26):** सरकलर दरुवल करलरलगरुओं की सुरकुषल डदुडलने और सुधलरलतुडक डुरशलसन कररुडकरुडुओं के डलधुडड से बंदियों के सुधलर और पुनरुवलस के कररुड कु सुवधलऑनक डनलने के लडल करलरलगरुओं में आधुनकल सुरकुषल उडकरणुओं कल उडडुऑन करने के लडल डुरडुऑनल के डलधुडड से रलकुडुओं और केंदुरशलसतल डुरदेशुओं कु वतलतुीड सलहलडतल डुरदलन करने कल नरुणलड लडलल डलतल है।
- **ई-करलरलगरु डुरडुऑनल:** ई-करलरलगरु डुरडुऑनल कल उदुदेशुड डऑलललकलकरण के डलधुडड से करलरलगरु डुरबंदन में दकषतल ललनल है।
- **डनुअल करलरलगरु कल डुडुडल अधनलडलड, 2016:** डह डनुअल करलरलगरु के बंदियों कु उडलडडुध वधकल सेवलरुओं (नःशुलुक सेवलरुओं सहतल) के बलरे में वसुतुत डलनकरलरी डुरदलन करतल है।
- **रलषुदुरीड वधकल सेवल डुरलधकरलण (NALSA):** इसकल गठन वधकल सेवल डुरलधकरलण अधनलडलड, 1987 के तहत कडल डलतल थल, ऑ 9 नवंबर, 1995 कु ललगु हुआ थल, कसलकल उदुदेशुड सडलऑ के कमऑर वरुगुओं कु डुडुडत एवं सकषड वधकल सेवलरु डुरदलन करने के लडल एक रलषुदुरवुडलडुी नेडवरुकु सुथलडतल करनल थल।

आगे की रलह:

- **कारागारों को सुधारात्मक संस्थान बनाना:** कारागारों को पुनर्वास और "सुधारात्मक संस्थान" बनाने का आदर्श नीतित्वा नुस्खा तभी प्राप्त होगा जब अवास्तविक रूप से कम बजटीय आवंटन, उच्च कार्यभार और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के संबंध में पुलिस की लापरवाही के मुद्दों का समाधान किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन समिति की सफारिश:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति अमिताव रॉय (सेवानिवृत्त) समिति (2018) नयुक्त की गई, समिति द्वारा कारागारों में भीड़भाड़ की समस्या से नपिटने हेतु नमिनलखिति सफारिशों की गई:
 - त्वरति सुनवाई, भीड़भाड़ की अनुचति घटना को दूर करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है।
 - प्रत्येक 30 बंदियों के लयि कम-से-कम एक वकील होना चाहयि, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।
 - पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबति छोटे-मोटे अपराधों से नपिटने के लयि विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापति की जानी चाहयि।
 - प्ली बारगेनगि की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाना चाहयि, जसिमें अभयुक्त द्वारा कम सज़ा के लयि अपना अपराध स्वीकार किया जाता है।
- **कारागार प्रबंधन में सुधार:** इसमें कारागार कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना, साथ ही नगरानी और जवाबदेही के लयि प्रभावी प्रणालियाँ लागू करना शामिल है।
 - इसमें बंदियों को स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और चकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना भी शामिल है।

टूट मिन्स प्रश्न

प्रश्न: भारत में वचिराधीन बंदियों की वर्तमान स्थितिपर चर्चा कीजयि और इन मुद्दों को संबोधति करने के लयि भारतीय नागरकि सुरक्षा संहति, 2023 के तहत प्रावधानों की क्षमता का वशिलेण कीजयि तथा ऐसे सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनश्चिति करने के उपाय सुझाइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. संवधान दविस के बारे में नमिनलखिति कथनों पर कीजयि: (2023)

कथन-I: नागरिकों के बीच सांवधानकि मूल्यों को संवर्द्धति करने के लयि संवधान दविस प्रतविर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है।

कथन-II: 26 नवंबर, 1949 को भारत की संवधान सभा में भारत के संवधान का प्रारूप तैयार करने के लयि डॉ. बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समतिबिनाई।

उपर्युक्त कथनों के बारे में, नमिनलखिति में से कौन-सा एक सही है?

- कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है।
- कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
- कथन-I सही है कति कथन-II गलत है।
- कथन-I गलत है कति कथन-II सही है।

उत्तर: (c)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा एक कथन कसी देश के 'संवधान' के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतबिबिति करता है? (2023)

- यह आवश्यक वधियों के नरिमाण के उद्देश्य को नरिधारति करता है।
- यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है।
- यह सरकार की शक्तियों को परभिषति और सीमाबद्ध करता है।
- यह सामाजकि न्याय, सामाजकि समता और सामाजकि सुरक्षा को प्रतभूत करता है।

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न 1 मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के वलिंब के उदाहरण न्याय प्रतयाख्यान (डनियल) के रूप में लोक वाद-वविाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लयि एक समय सीमा का वशिलेण रूप से उल्लेख किया जाना चाहयि? वशिलेण कीजयि। (2014)

प्रश्न 2 भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) सर्वाधिक प्रभावी तभी हो सकता है, जब इसके कार्यों को सरकार की जवाबदेही को सुनश्चिति करने वाले अन्य यांत्रिकत्वों (मकैनजिम) का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो। उपरोक्त टपिपणी के प्रकाश में, मानव अधिकार मानकों की प्रोननति करने और उनकी रक्षा करने में, न्यायपालकिा और अन्य संस्थाओं के प्रभावी प्रक के तौर पर, एन.एच.आर.सी. की

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/state-of-undertrial-prisoners-in-india>

